कार्यालय अनुमण्डल पदाधिकारी, नीमचक बथानी, मु0–खिजरसराय, गया।

–: जन वितरण प्रणाली की रिक्तियों के विरूद्ध आवेदन प्राप्ति हेतु सूचना :–

विज्ञापन सं0– 01/25

बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2016 में निहित प्रावधानों के आलोक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 05 दिनांक 11.04.2025 से प्राप्त निदेशानुसार गया जिला अन्तर्गत नीमचक बथानी, गयाजी अनुमण्डल के प्रखण्डवार/शहरी क्षेत्रवार जन वितरण प्रणाली की 12 रिक्तियों को भरने हेतु सुयोग्य व्यक्तियों/संस्थाओं से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

पूर्णरूपेण भरे हुए आवेदन पत्र को विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से दिनांक 22 अगस्त के संध्या 05:00 बजे तक कार्यालय अवधि में (अवकाश दिवस को छोड़कर) अनुमण्डल कार्यालय नीमचक बथानी, गयाजी के निमित गठित प्रकोष्ठ में स्वीकार किया जाएगा, लिफाफा के उपर **"विज्ञापन संख्या एवं जन वितरण प्रणापली की नई अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र"** लिखा होना अनिवार्य है किसी भी परिस्थिति मे अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएगें। प्रखण्डवार/कोटीवार रिक्तियॉ निम्न प्रकार है :–

नोट– प्रखण्डवार/वार्डवार/पंचायतवार जन वितरण प्रणाली दुकानों का आरक्षणवार रिक्तियों अनुमण्डल पदाधिकारी, नीमचक बथानी, गयाजी के कार्यालय के सूचना पट्ट पर एवं गया जिला के वेबसाईट **https://gaya.nic.in** पर देखा जा सकता है।

प्रखण्ड का नाम	आरक्षित													कुल	रोस्टर बिन्दु
	अनारक्षित		अनु0 जाति		अनु0 जन जाति		अ0पि0 वर्ग		पि0 वर्ग		पि0 वर्गो की महिला	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला		अन्य	महिला		
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
खिजर सराय	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	1	242
खिजर सराय	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	1	243
खिजर सराय	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	1	244
खिजर सराय	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	1	245
खिजर सराय	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	1	246
अतरी	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	1	247
अतरी	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	1	248
अतरी	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	1	249
अतरी	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	1	250
मोहड़ा	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	1	251
मोहड़ा	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	1	252
मोहड़ा	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	1	253

31/7/25

अनुमण्डल पदाधिकारी,
नीमचक बथानी, गयाजी।

अनुमण्डल कार्यालय, नीमचक बथानी, गया।

पत्रांक 1717 /आ० दिनांक 31/7/2025 ई०	फोन न० :– ई–मेल :–

विज्ञापन संख्या 01/2025

(अनुमंडल नीमचक बथानी, आपूर्ति शाखा, गया)

–: जन वितरण प्रणाली दुकान की रिक्तियों के विरूद्ध आवेदन प्राप्ति हेतु सूचना :–

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा समादेश याचिका संख्या – 4453/2016 के संदर्भ में
दिनांक 14.12.2016 को दिए गये न्यायादेश के आलोक में बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण)
आदेश 2016 में वर्णित प्रावधानों एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या– 2342 दिनांक
15.02.2016 एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गयाजी के पत्रांक 909 दिनांक 24.07.2025 के आदेश के आलोक
में विज्ञापन प्रकाशन हेतु निर्देशित किया गया है। जिसका अनुमोदन जिला पदाधिकारी, गयाजी से प्राप्त है।
अनुमोदन के उपरान्त गया जिला अन्तर्गत नीमचक बथानी अनुमण्डल के जन वितरण प्रणाली दुकान के 12
(बारह) रिक्त स्थानों के विरूद्ध नियमानुसार अनुज्ञप्ति दिया जाना है, जिससे संबंधित सुयोग्य
व्यक्तियों/संस्थाओं से सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

रिक्ति की विवरणी

क्रमांक	प्रखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	रोस्टर बिन्दु और संख्या	सामान्य एवं लागु किये जाने वाला रोस्टर	कुल का 35 प्रतिशत महिला
1	खिजरसराय	नौडिहा	जगदीशपुर	242	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	
2	खिजरसराय	नौडिहा	पचमहला	243	अनुसूचित जन जाति	
3	खिजरसराय	हथियावा	मखदुमपुर	244	अनुसूचित जन जाति	
4	खिजरसराय	उचौली	उचौली	245	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	
5	खिजरसराय	हेमारा	बलियारी	246	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	महिला
6	अतरी	सहोड़ा	माफा	247	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	
7	अतरी	धुसरी	बैरका	248	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	
9	अतरी	धुसरी	कटैया	249	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	महिला
10	अतरी	धुसरी	धुसरी	250	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	
10	मोहड़ा	सेवतर	चेया	251	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	
11	मोहड़ा	दरियापुर	सुरजपुर	252	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	महिला
12	मोहड़ा	सारसू	पसिया	253	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	

उक्त परिप्रेक्ष्य में कुल 12 रिक्तियों के विरूद्ध सुयोग्य व्यक्तियों/संस्थाओं/ पंचायत/वार्ड के स्थायी
निवासीयों से निर्धारित विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

1. योग्य व्यक्तियों के लिए अनुसूची–1 में तथा स्वयं सहायता समूह, महिलाओं/पूर्व सैनिक की सहयोग
समितियों के लिए अनुसूची–2 में आवेदन पत्र अनुमण्डल पदाधिकारी, नीमचक बथानी के कार्यालय में
निर्धारित तिथि **04.08.2025 से 22.08.2025 के संध्या 05:00** बजे तक कार्यालय अवधि में सिर्फ निबंधित
डाक के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र विचार नहीं किया

जायेगा। लिफाफा के उपर **"विज्ञापन संख्या एवं जन वितरण प्रणाली दुकान की नई अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र"** लिखा होना अनिवार्य है।

2. उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास और व्यस्क होगा, परन्तु कम्प्युटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।
3. अनुज्ञप्ति निर्गत करने में निम्न प्रकार से प्राथमिकता दी जायेगी :– (क) स्वयं सहायता समूह (ख) महिलाओं की सहयोग समितियॉं, (ग) पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियॉं, (घ) शिक्षित बेरोजगार (ड़) संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासी।
4. पिछड़े वर्ग की महिलाओं में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की महिलायें शामिल मानी जायेंगी।
5. दिव्यांग उम्मीदवारों को सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के आलोक में नियमानुकुल आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।
6. निम्नलिखित व्यक्तियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं किया जायेगा :– (क) संयुक्त परिवार के कई सदस्यों के नाम से दुकान आवंटित नहीं किया जाएगा। परिवार की परिभाषा में निम्नलिखित सदस्य माने जाएँगे:– माता, पिता, भाई, भाभी, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधु एवं सौतेला भाई। यह अधिसूचना निर्गत तिथि से मान्य होगा। (ख) मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड, सदस्य पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य, विधायक, विधान पर्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल तक, (ग) आटा–चक्की के मालिक एवं उनके निकट संबंधियों को, (घ) अवयस्क या पागल या दिवालिया को, (ड़) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 "क" का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष व्यक्ति को, (च) सरकार में लाभ के पद धारण करने वाले व्यक्ति।
7. विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व अनुज्ञप्ति हेतु दिये गये आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. अनुमण्डलवार / प्रखण्डवार / पंचायतवार / वार्डवार जन वितरण प्रणाली के दुकानों की आरक्षणवार रिक्तियॉं एवं आवेदन पत्र प्रारूप कार्यालय अनुमण्डल पदाधिकारी, नीमचक बथानी के सूचनापट्ट पर एवं गया जिला के बेवसाईट **https://gaya.nic.in** पर देखा जा सकता है।

नोट :–

1. आवेदन पंत्र के साथ स्वअभिप्रमाणित अपना रंगीन पासपोर्ट साईज का फोटो (हाल का खींचा हुआ) पांच प्रति में संलग्न करना होगा, जिसमें से एक फोटो आवेदन पत्र पर सबसे उपर दांये कोने में चिपकाना होगा।
2. आवेदक को अपना मोबाईल संख्या, तिथि आवेदन पत्र में अंकित करना होगा।
3. आवेदक को आवेदन पत्र के सबसे उपर उस पंचायत / वार्ड संख्या एवं आरक्षण श्रेणी अंकित करना होगा, जिस पंचायत / वार्ड एवं आरक्षण श्रेणी के लिए आवेदन कर रहें हैं।
4. शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
5. आरक्षित श्रेणी के आवेदक को अंचल अधिकारी / राजस्व निरीक्षक द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
6. संबंधित पंचायत / वार्ड का निवासी होने का लाभ लेने के लिए अंचल अधिकारी / राजस्व निरीक्षक द्वारा निर्गत आवास प्रमाण पत्र स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
7. कार्यपालक दण्डाधिकारी के स्तर से निर्गत आचरण संबंधी शपथ पत्र की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
8. एक से अधिक पंचायत / वार्ड के लिए आवेदन करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
9. जिन पंचायतों / वार्डो में अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्तियॉं अनुशंसित हैं, वहॉं अनुसूचित जनजाति का कोई आवेदक नही हो, तो इसे अनुसूचित जाति के आवेदक द्वारा भरा जायेगा, और यदि अत्यन्त पिछडा वर्ग के लिए आरक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का कोई सुयोग्य आवेदक नही हो तो इसे पिछड़े वर्ग के आवेदक एवं तद्नुसार इसके विपरीत क्रम (vice versa) द्वारा भरा जायेगा।
10. आवेदक जिस स्थान पर जन वितरण प्रणाली की दुकान चलाना चाहते है, उस भूमि का खाता, खेसरा एवं रकवा से संबंधित खतियान / केवाला एवं अद्यतन लगान रसीद की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
11. विज्ञापन में अंकित स्थल / ग्राम में ही अनुज्ञप्तिधारी को दुकान का संचालन करना होगा। विशेष परिस्थिति में आवश्यकतानुसार अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा उक्त स्थल में परिवर्तन किया जा सकेगा।

अनुमण्डल पदाधिकारी,
नीमचक बथानी, गयाजी।

अनुसूची – 2

बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन पत्र
(स्वयं सहायता समूह, महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियों के लिए)

अनुज्ञापन प्राधिकारी का पदनाम ....

एवं कार्यालय का पता

1. महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ/स्वयं सहायता समूह की विशिष्टियाँ

आवेदक का अभिप्रमाणित फोटो

(क) नाम एवं प्रकार :

(ख) निबंधन संख्या एवं वर्ष :

(स्वय सहायता समहू के लिए गठन का वर्ष वर्तमान ग्रेडिंग के साथ)

(ग) कार्यालय का पता :

(घ) मुख्य पेशा एवं कार्यक्षेत्र :

(ङ) प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/प्रधान एवं सदस्यों का विवरण :

(निर्याचन प्रमाण पत्र की पतिलिपि संलग्न करें)

(च) अधिक्रमित होने की स्थिति में नियुक्त प्रशासक का नाम एवं पदनाम का उल्लेख करें:

2. उचित मूल्य की दुकान का विवरण जिसके लिये अनुज्ञप्ति अपेक्षित है :–

3. महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ/स्वयं सहायता समूह की प्रबंधन समिति के द्वारा आवेदन करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति से सम्बन्धित सूचनाएँ :–

(क) नाम :

(ख) पिता/पति का नाम :

(ग) स्थायी पता :

(घ) पत्राचार का पता :

(ङ) फोन नं0/मोबाईल नं0/ :
ई– मेल पता :

4. आरक्षण का दावा हो तो आरक्षण वर्ग का उल्लेख करें एवं प्रबंधन समिति के प्रधान सहित सभी सदस्यों की जाति का प्रमाण पत्र संलग्न करें

5. व्यवसाय स्थल का विवरण :–

(क) मकान / दुकान संख्या :

(ख) होल्डिंग नं0 :

(ग) क्षेत्रफल :

(घ) खाता नं0 ...., खेसरा नं0 :

(ङ) चौहद्दी :

(च) मुहल्ला /वार्ड नं0 :

(छ) ग्राम /शहर :

(ज) थाना :

(झ) जिला :

CS CamScann

क्या आवेदक के पास आटा–चक्की है ?

क्या आवेदक किसी आटा–चक्की मालिक का निकट रिश्तेदार है ?

क्या आवेदक मुखिया, सरपंच, पंच , वार्ड सदस्य, पंचायत समिति का सदस्य, जिला परिषद् का सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकाय का निर्वाचित सदस्य है ?

मैं .... एतद्द्वारा घोषण करता हूँ कि उपर्युक्त वर्णित विशिष्टियाँ मेरी सर्वोतम जानकारी तथा विश्वास में सही है एवं उनमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है। भविष्य में यदि ये असत्य पाये जाते हैं तो मैं कानूनी कार्रवाई का भागी होऊँगा ।

" बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016" के प्रावधानों को मैनें सावधानीपूर्वक पढ़/ समझ लिया है तथा मैं उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ।

स्थान :

दिनाकं :

आवेदक का हस्ताक्षर

अनुलग्नक :–

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

CS CamScanner

अनुसूची – 1

बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन पत्र (व्यक्तियों के लिए)

अनुज्ञापन प्राधिकारी का पदनाम ....

एवं कार्यालय का पता

आवेदक का अभिप्रमाणित फोटो

1. आवेदक की विशिष्टियाँ –

    (क) नाम

    (ख) पिता / पति का नाम

    (ग) शैक्षणिक योग्यता

    (घ) उम्र

    (ङ) स्थायी तथा वर्त्तमान पता
    (फोन नं0 / मोबाईल नं0 / ई–मेल पता के साथ)

    (च) कम्प्यूटर ज्ञान

2. उचित मूल्य की दुकान का विवरण जिसके लिये अनुज्ञप्ति अपेक्षित है :–
व्यवसाय स्थल का विवरण

    (क) मकान / दुकान संख्या :

    (ख) होल्डिंग नं0 :

    (ग) क्षेत्रफल :

    (घ) खाता नं0 ...., खेसरा नं0 :

    (ङ) चौहद्दी :

    (च) मुहल्ला / वार्ड नं0 :

    (छ) ग्राम / शहर :

    (ज) थाना :

    (झ) जिला :

3. आरक्षण का दावा हो तो आरक्षण वर्ग का उल्लेख करें और जाति प्रमाणपत्र संलग्न करें

4. व्यवसाय स्थल अपना है या किराया का ? अगर किराया का है तो किराया के एकरारनामा की सत्यापित प्रति संलग्न करें।

5. यदि आवेदक के पास पूर्व से अन्य किसी कारोबार की अनुज्ञप्ति है, तो विवरण दें

6. क्या आवेदक को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के उल्लंघन के कारण अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया है ?

7. क्या आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित या सिद्धदोष ठहराया गया है ?

8. क्या आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित है ?

9. क्या आवेदक सरकारी लाभ के किसी पद पर पदस्थापित है? यदि हाँ तो विस्तृत विवरण दें ।

10. क्या आवेदक सरकारी नौकरी में है ? यदि हाँ तो विस्तृत विवरण दें ।

CS CamScanner

...) गोदाम की भंडारण क्षमता :

... या गोदाम का स्थल अपना है या किराया का ? अगर अपना है तो दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न ... और अगर किराया का है तो किराया के इकरारनामा की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

यदि महिलाओं पूर्व सैनिकों की सहयागे समितियाँ या स्वयं सहायता समहू के पास पूर्व से अन्य किसी कारोबार की अनुज्ञप्ति है तो इसका विवरण दें

8. महिलाओ/पूर्व सैनिकों की सहयागे समितियाँ/स्वयं सहायता समहू के पास उपलब्ध चलती पुंजी का विवरण :–

(आवेदन की तिथि को बैंक खातों एवं उसमें उपलब्ध राशि का विवरण दें)

मै .... एतद् द्वारा .... की तरफ से इसकी प्रबंध समिति की बैठक में दिनांक........................ को पारित प्रस्ताव संख्या................द्वारा अधिकृत किये जाने के आलोक मै घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित विशिष्टियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास मैं सही है एवं उनमं कुछ भी छिपाया नही गया है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि .... की प्रबंध समिति ने "बिहार लक्ष्यि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016" के प्रावधानों को पढ़/समझ लिया है तथा वह उनका पाल करने के लिए सहमत है।

सहयोग समिति/स्वयं सहायता समूह के
प्रधान का प्रतिहस्ताक्षर
नाम
पदनाम
सहयोग समिति/स्वयं सहायता समूह
का नाम

आवेदन करने हेतु प्राधिकृत
व्यक्ति का हस्ताक्ष
नाम
पदनाम
सहयोग समिति/स्वयं सहायता समूह
का नाम

CS CamScanner